थाई यूनियन ग्रुप
विज्नेज़ कायदे और मजदुरों के साथ रहनसहन का वसूल
हमारे सप्लायर्स के साथ सांझा तौर पर काम करना।

प्रस्तावना :

जागतिक पैमाने पर इन्सानी हुकुम एकेहरी सतह पर थाई यूनियन फ्रोज़न प्रोडक्टस पब्लीक कं.लि. और उसके लाभार्थी, इसके बाद पेहचाने जाएगे थाई युनियन ग्रुप के तौर पर जिन्हों ने तय किया है के साफ सुधरे और सुरक्षित व्यवहार से अपने कर्मचारीयों को प्रभावित किया जाए।

ये बात प्राप्त करने के लिए हमारे सप्लायर्स एक बहुत ही मुशकिल रोल अदा करते है, जिससे हमे सहायता मिलते हि के हम अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तौर पर निभाए। हम यही पैमाना और बेंचमार्क का प्रयोग करते है अपने सप्लायर्स के संदर्भ में जैसे के वो हमारी कंपनी का हिस्सा है।

सुलभ करने का ये रवय्या हमारा अपना तरीका है हम पेशगी तौर पर अपने सप्लायर्स को बतला देते है के किन चिजों की हमे आज आवश्यकता है? और किन चिजों की बाद में।

थाई युनियन ग्रुप का कोड ऑफ कंडक्ट इस बात को स्पशट दर्शाता है के हम अपने फैसले के साथ किस मजबुती से और विश्वास के साथ + व्यवहार के लिए जुडे हुए है, खुला माहोल और जाग्रती इन्सानी अधिकार के सिलसिले मे और मज़दुरों के बुन्यादी वसुलों के बारे में हम अपने पूरे कार्यकाल मे पूरा पूरा ध्यान रखते है। ये कोड ऑफ कंडक्ट एक कार्य का ढांचा निर्माण करता है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम कार्य पूरा करते है और अपनी जिम्मेदारीयों को तय करते है जो हमारी भविष्य और हमारी चाहतों के संदर्भ में होती है हम सिर्फ उन्ही सप्लायर्स के साथ काम करते है जो हमारी अहमियत को समझते है और हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को निभाते है उनके लिए जरूरी होता है के वो हर व्यवहार को खुले तौर पर करे और उपाय योजना और कमीयों को पुरा करे और इस संदर्भ में अपने काम को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें, बुनियादी उसुलों और कायदों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माहोल पैदा करें जिससे पॉलिसी कि निंव रखी जासके।

हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की व्याख्या ये है कि वो जरूरतों को दर्शाता है और बेंचमार्क को प्रदान करता है वो स्थिती जिसमें हर हिस्सा जो बुनियादी तौर पर उसुलों से जुडा है स्पष्ट हो जाता है।

बुनियादी नियम/कायदे :

थाई युनियन ग्रुप जो कार्य क्षेत्र उस पुरे क्षेत्र में हम ने इन्डस्ट्री बनाई है जो जिम्मेदारों को बेंचमार्क के तौर पर निभाती है जो सप्लाय और टिकाऊपन कि बढोतरी से जुडी हमारी इच्छाशक्ती और फैसले को दर्शाती है। इतनाही नही, बल्कि हमने अपने प्रोडक्ट के हर हिस्से को कॉलिटी से भरपूर बनाया है जो हमारे व्यापार का हिस्सा है और हम अपने सप्लायर्स को निमंत्रण देते है वो हमारे साझेदार बने और पैदावार की उत्तमता और टिकाऊपन का निशाना पाने के नियमों मे हमारा साथ वें, हम यूनियन के जागतिक कांम्पेक्ट 1 ग्रुप के सदस्य है और हमने निश्चय किया है के उसके जागतिक नियमों और सफलता और बढ़ोतरी के उसुलों को लागू करने मे कटीबद्ध रहेंगे।

वो बुनियादी ढांचा जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की निंव रखता है वो जमिनी हकीकत से जुडा है जो जागतिक पैमाने पर मान्यता प्राप्त स्तर और उसका लिहाज संपूर्ण कार्य के दौरान रखा जाता है।

1). व्यवहार कानुनी दायरे मे रहते हुए और इमानदारी से किया जाता है।
2). आजादी के साथ, रजामंदी के साथ और मजदोरों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज़ अनुसार किया जाता है।
3). हर कर्मचारी के साथ समान सुलुक किया जाता है, उसे इज्ज़त और आत्मसंम्मान का ध्यान रखा जाता है।
4). कर्मचारीयों की इच्छानुसार और बगैर ज़रजबरदस्ती के कार्य लिया जाता है।
5). सभी कर्मचारीयों/मज़दोरों को मजदुरी दी जाती है।
6). सारे मजदुर एक खास उमर के होते है।
7). कार्यसमय नियोजीत होता है।
8). सभी कर्मचारीयों को अपने अधिकार के इस्तेमाल की आजादी होती है के वो युनियन बनाए/ युनियन मे शामिल हो और कानून के दायरे मे रहते हुए अपने अधिकार पाने के लिए सौदा करें।
9). काम के समय कर्मचारियों के स्वास्थ कि निगह रखी जाती है।
10). कर्मचारियों को कार्यप्रणाली तक पहुँच प्राप्त है।
11). व्यापार इसतरह किया जाता है कि लंबे समय तक चलता रहे और पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त हो।
12). उन्नती और विकास पर और उसके लिए किए गण प्रयोग पर नज़र रखी जाती है।

<u>नियमावली प्रयोग :</u>

थाई युनियन ग्रुप अपने व्यवहार / व्यापार को इमानदारी और सम्मान के साथ पूर्ण करती है। नामकमाना ही हमारी पुंजी है, जैसे के हम अपने लोगों की कदर करते है और अपने प्रॉडक्ट की अहमियत को समझते है, हम आशा करते है के किरदार के उंचे पैमाने को हुए और ये मरतबा

हमारे कर्मचारीयों और उन सभी साथियों को मिले जो व्यापार में हम से जुडे है। चाहें वो हमारे सप्लायर्स हो या दूसरे लोग सब, ये मान्य करेंगे के बुनियादी ढांचे मे उसली तौर पर हम से जुडे है।

अ. थाई युनियन ग्रुप के साथ व्यापार करने के लिए अत्यंत जरूरी बातें

इस हिस्से में हम अत्यंत जरूरी बातें बतलाएगे जो हमारे सप्लायर्स के लिए करनी होगी ताके हमारा संबंध उनके साथ व्यापार परिपेक्ष में थाई युनियन ग्रुप के साथ प्रस्थापित हो। हम सारे ही सप्लायर्स से जो थाई युनियन ग्रुप से जुडे है चाहेंगे के वो अपनी मान्यता और सम्मरन देने की इच्छा प्रकट करेंगे जो इन अतिआवश्यक नियमों से जुडी है जो कार्यक्षेत्र पर आधारित है।

१. व्यापार सिर्फ कानुनी और सम्मान की मर्यादा मे किया जाएगा

रिश्वतखोरी

हर तरह की रिश्वत देने लेने पर सख्त पाबंदी है। चाहें वो किसी भी स्वरुप कि हो, और ऐसा सिस्टम हमारे पास है जिससे रिश्वतखोरी पर बंदीश लगती है सारी व्यवहारीक लेन-देन से जुडी शर्ते सप्लायर्स को मान्य है, ये लिखित स्वरूप लिया जाता है।

फायदा उठाने के चोर रास्ते:

वो सारे रास्ते जिनसे फायदा उठाया जा सकता है जब कोई सप्लायर थाई युनियन ग्रुप से जुड जाता है मगर उसे इसकी जानकारी नही है, वो थाई युनियन ग्रुप को बतलाने होंगे ताके हमें योग्य कदम उठाने का मौका मिले, कोई मिलकियत या नफा जो किसी सरकारी अधिकारी को सप्लायर्स से व्यवसाय के माध्यम से भिन रहा हो या किसी सियासी पार्टी के मंत्री को मिल रहा हो या थाई युनियन ग्रुप के सदस्य को मिल रहा हो वो बतलाना सभी के लिए अतिआवश्यक है अगर थाई युनियन ग्रुप के साथ व्यापार करना चाहते हो।

उपहार, आतिथ्य और मनोरंजन

थाई युनियन ग्रुप के साथ किया जाने वाले हर व्यवहार सामान्य रूप का होना चाहिए ताकी व्यापार का रिश्ता मजबुती से टीका रहें, किसी सुरत में इसमें बिगाड ना आए ताकी स्पष्ट रहे की थाई युनियन ग्रुप का फैसला अपने भविष्य की दिशा में उचित है। उपहार/बक्षीस देना तोहफे और गिफ्ट देना आपस में इनाम प्रदान करना इससे पुरी तरह बचाजाए एक कंपनी दुसरे कंपनी को अगर गिफ्ट देती लेती है तो उचित है मगर उसमें पारदर्शक्ता और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

मुकाबला और मुकाबला करनेवालो की जानकारी:

थाई युनियन ग्रुप से निगडीत मुकाबला करने वालो की सुची कानुनी तौर पर हासिल की जाए और मर्यादा में रहते हुए उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि विश्वासघात से जुडी समस्याए और दुसरी समस्याएँ निदान कि जाए एसी काई कोशिश ना कि जाए जिससे थाई युनियन ग्रुप को धब्बा लगे और ना किसी गुप्त जानकारी को मुकाबला करने वालो के हवाले कर दिया जाए, मर्यादित रूप से, और आम आदमी तक उन की रसोई किसी सुरत मे ना होनी चाहिए

आर्थिक रिकॉर्ड, व्याज से पैसे देना और अंदरूनी व्यापार:

सारे व्यवहार और आर्थिक लेन देन मे पारदर्शकता और अचुकता को रिकॉर्ड किया जाए, सप्लायर्स कि पुस्तकों मे और रजिस्टरो में किसी सुरत मे किसी तरह के व्याज लेन-देन मे ना पडे, जो छुपी जानकारी सप्लायर्स के दी गई है उसका इस्तेमाल सिर्फ अंदरूनी व्यापार को बढावा देने के लिए किया जाए।

जायदाद और जानकारी की सुरक्षा के उपाय

थाई युनियन ग्रुप की छुपी जानकारी कार्यक्रम कि प्रणाली और जायदाद की ज्ञान से जुडी जानकारी की इज्जत कि जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए, सारी प्राप्त जानकारी इस्तेमाल सिर्फ उन्ही कार्यो के लिए किया जाए जो थाई युनियन ग्रुप ने बतलाए है । ग्राहकों से जुडी जानकारी और अन्य लोगो से जुडी जानकारी चाहे वो कर्मचारी हो, उसका सन्मान किया जाए ताकि उनकी निजी जिन्दगी और अधिकार सुरक्षित रहें।

पैदावार कि उत्तमता और जिम्मेदाराना नई खोज

उतपात और सेवाए इसतरह हो के उसकि विशेषता और उत्तमता और सुाक्षा के पैमाने तय हो, अैर उस का संबंध उस अॅग्रीमेंट से स्पष्ट हो जो दस्तावेज मे दर्शाए गए है। और उसके इस्तेमाल के सुाक्षित तरीके बताए गए हो। शोधकार्य और विकासकार्य को जिम्मदारी के साथ किया जाए जो प्रॅक्टीस के वातावरण मे किया जाए ऐसा शोधकार्य तब ही मान्य होता है जब वो विज्ञानिक, तकनिकी और बुनियादी उसुलों पर निर्भर हो।

कानुन का पालन

सारे कानुन और नियमों का पालन किया जाता है जो हर देश के अनुसार वहाँ के सप्लायर पुर्ण करते है दुसरे सारे जागतिक नियम और कानुन का पालन जो जागतिक व्यापार से जुडे होते है। (जैसे के मान्यता से जुडे कानुन निर्यात नियंत्रण और रिपोर्ट की पुर्तता) डेटा सुरक्षा और विश्वासघात/मुकाबले के कानुन/नियम.

रिपोर्ट से जुडी बातें और अप्रतिकार

कर्मचारीयों को अपनी बात रखने की संधी दी जाती है जो इन जरूरतों से जुडी हो और सारे ही कर्मचारियों को जो खुलकर अपनी बात रखते है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है।

१.१ खुली और प्रभावित नियमावली और पॉलिसीयाँ

इस बारे मे मौजुद है जो व्यापार के सन्मान और उम्मीदों से जुडी है जो रिश्वतखोरी के खिलाफ नियम दर्शाती है । बक्षीस और उपहार का लेन-देन इत्यादी इसी तरह वो कानुन के मुकाबलो और फायदे के छुपे रास्ते बताती है।

१.२ ट्रेनिंग देना और खतरे उठाने का सिस्टम जिससे समस्याएँ दुर कि जाए मौजुद है और यहाँ ऐसा वहाँ उसका बदल प्रदान किया जाता है।

१.३ सरे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक हो इसके लिए एसी योजनााए कार्यरत है जो आर्थिक व्यवहार को पारदर्शक रूप से दर्शाती है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है के व्याज के लेन देन पर रोक लगे, ऐसा कोई खाता नही है जो छुपा हो या लिचित ना हो, सारे फंड और धन से जुडे व्यवहार प्रस्थापित रूप से नोंद किए जाते है।

१.४ जानकारी चाहे व्यवसाय से जुडी हो या उत्पाद से, उसे सुरक्षा प्रदाण की जाती है, इस तरह के जानकारी तब ही दी जायेगी जब उसको जानना अतिआवश्यक हो।

१.५ पुर्णत; पणाली प्रयाप्त है, जिससे यह सुनिश्चित कि जा सके के किसी उत्पाद की उत्तमता और सुरक्षा, जो उसके असली होने को बताये, यह सप्लायर कडी के हर सदस्य के पास प्राप्त होती है, और उसका पता थाई युनियन ग्रुप को तुरंत लग जाता है।

१.६ ऐसी प्रणाली सक्षम रूप से मौजूद है जिस से सुनिश्चित हो जाता है के सप्लार्य या उनसे जुडे लोगों ने सभी नियमों का पालन किया है, या नही।

१.७ ऐसी प्रणाली मौजूद है, जिस का इस्तेमाल करके कर्मचारी अपना संश्य/खतरा दर्शा सकते है, यह खतरा मौल लिए बगैर के उन्हें कोई नुकसान पहुँचाऐगा।

२ कार्य उस पध्दती से पूर्ण किया जाता है के आजादी बनी रहे और जोर जबरदस्ती ना हो और दस्तावेज ने अनुरूप काम लिए जाए, जो नियमनुसार हो, और पॉलिसीज अपनाई गई है जिन के अनुरूप सारे कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, इसी तरह बाहर से काम करने वाले लोग, सुरक्षित रहें उनकी सुरक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जो उन्हें एम्पलोयमेंट कि तरफ से कोंन्ट्रक्ट बेसीस पर दिया गया है, आस पास के कर्मचारी और राज्यस्तर के कर्मचारी उन्हें समाजी सुरक्षा के नियमानुसार इसी तरह जागतिक स्तर पर मान्याता प्राप्त अधिकर प्रदान किए जाते है।

२.१ कर्मचारियों के अधिकार की चाबी उनके काम करने के घंटो से जुडे है। अगर वो निर्धारित समय सिमा से जादा काम करें तो उन्हें उसका फायदा मिलता है या उनकी शिकायत दर्ज कराने का सिस्टम के अस्तित्व मे है (i) जिन बातों पर सहमती बनी है। (ii) जो चिजे लिखित रुप में है (iii) जिन पर कर्मचारी और मालीक के हस्ताक्षर है ।

२.२ सारी शर्ते और नियम साफ साफ तौर पर समझे और समझााए गए है। उस भाषा में जिसे वह अच्छी तरह समझता है।

२.३ होने वाले बदलाव/परिवर्तन पर लिखित स्वरूप कर्मचारी और मालिक की सहमती है।

३ सारे कर्मचारीयों को सम्मान और इज्जत दि जाती है।

सभी कर्मचारीयों के साथा अच्छा बरताव किया जाता है, किसी कर्मचारी को उसकी शारिरिक कमी चाहे मानसिक रूप कि हो या अन्य रुप कि, उसे शाब्दिक तौर पर सताया नही जाता और ना किसी और तरिके से त्रस्त किया जाता है। कोई भेदभाव नही किया जाता, किसी नुकसान कि भरपाई से जुडी बाते हो या नियम के उल्लंघन के संबंध मे हो चाहे उधारी, निलंबन, निवृत्ती इत्यादी विषयों से संबंधीत भेदभाव नही किया जाता। जातपात, देश, धर्म, वय, विकलांगता, लिंग, शादीशुदा होना, असली लिंग, युनियन सदस्यता, राजनैतिक श्रेष्ठता, व्यवसाय, गर्भवती होना इत्यादी विषय टाले जाते है।खास तौर से वो कर्मचारी जो इसतरह के बदसलुकी का शिकार बन सकते है उन्हें जादा सुरक्षा दी जाती है।

३.१ एसी योजना जिससे भेदभाव रोका जाए जो जात-पात, देश, धर्म, विकलांगता, लिंग, शादीशुदा होना या ना होना, लिंग का स्वरूप, युनियन की सदस्यता, राजनैतिक संबंध, स्वास्थ, विकलांगता या गर्भावती अवस्था इत्यादी जिन से कर्मचारी अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जानकारी हासील कर सकते है।

३.२ गर्भावस्था की जांच या दुसरा इस प्रकार का मामला जो स्वास्थ से संबंधीत हो तो उसकी जांच करके भेदभाव को बढावा देने का प्रयत्न बरदाश्त नही किया जायगा।

४ कार्य को सहमती की बुनियाद पर किया जाता है कोई जोर जबरदस्ती नही कि जाती

जबरदस्ती काम करवाना चाहे वो नियमित मजदूर हो या दुसरे, किसी तरह का अन्याय बरदाश्त नही किया जायगा, मानसिक और शारिरिक उतपिडन गुलामी और इन्सानी खरीदों फरोख्त सख्त मना है।

४.१ कुछ पॉलिसीज है, तरीके हैं जिनसे लोगों को हमारी कंपनी की तरफ आकर्षित किया जाता है के वह स्वखुशी, आनंदी के साथ हारी कंपनी से जुड जायें मगर साथ ही हम ने यह आनंदी भी प्रदान की है लोक अपनी मर्जी/इच्छा से अगर हम से अलग होना चाहे तो अलग हो सकते है।

४.२ कर्मचारियों को अपनी रहने की जगह चुनने का पूरा अधिकार है, यह जरूरी नहीं के वह सप्लयर्स के सकुत/काम्पलेक्स में रहे।

४.३ कर्मचारियों पर यह बंधन नहीं के वह अपनी पहचान पत्रों को सप्लायर के हवाले कर दे ताकि जब उनसे पहचान-पत्र माँगे जायें तो प्रेशक प्रस्तुत कर सकें। इसका इनोनाम/प्रावदान किया गया है के कर्मचारी जब चाहें अपने पहचन-पत्र प्राप्त कर सकें, उन्हें कार्य शाला छोडने से नहीं रोका जायेगा। और यह के उनके पहचान-पत्र तुरंत वापस दिये जायेंगे जैसे ही कामपूर्ण हो जाता है।

४.४ सप्लयर्स को यह करना ही होगा के जो कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारीयों के साथ हुआ है, वह उस भाषा में ही कर्मचारी अच्छी तरह समझते हो।

५. सारे ही कर्मचारी एक विशिष्ट वय में लहो।

कोई बच्चा जिसकी आयू 15 साल के कम हो काम नहीं करेगा और अलग अलग देशों के कानून के तहत जिस आयू मे काम करना मना है वह बिल्कुल काम नहीं करेगा और ना उससे काम लिया जाएगा। सप्लायर्स यह भी ख्याल में रखेंगे के कोई बच्चा जो 18 साल से छोटा हो,

किसी खतरे की जगह काम नहीं करेगा, और ना 8 घंटो से ज्यादा काम करेगा और ना रात पाली (सुबह10 से 6 बजे तक) काम करेगा।

५.१ यह बात स्पष्ट है के एम्पलॉयमेंट ने कानून के दयारे में रहते हुये काम करने की आयु को कम से कम आयू स्पष्ट की है, साथ ही आयू की जांच की आदेश दिये है और आयू जाँच के नियम बनाये है (जैसे पहचान पत्र या सरकार ने जारी किया हुआ पासपोर्ट) जिस से इस पॉलिसी पर अमल किया जा सके।

५.२ सारे ही हालत में जो जवान कर्मचारी काम करते है उनकी सुरक्षा और स्वाश्थ के लिए नियम बनाये है। जिस के अनुसार उन्हे एक खास तरह का काम ही दिया जाये और खतरे के काम उन्हे ना सोंपे जायें और रात-पाली के काम उन्हे दिये जायें जिनमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

६. सभी कर्मचारीयों को योग्य भत्ता/पगार मिले।

सभी कर्मचारियों को पूरा पैकेज देना जरूरी है, जिसमें मजदूरी की रक्कम, ओव्हर टाइम का पगार, दुसरे फायदे और पगार के साथ छुट्टी, जो किसी देश के कम से कम मजदूरी मर्यादा से कम ना हो, कानून के पाबंद रहते हुए स्पष्ट है के मोबादल/मजदूरी की व्याख्या क्या है के जिससे वह सौदेबाजी की हालत में हो। करारनामा और दस्तावेज तय्यार किये जायें और उन पर अमल किया जाये।

६.१ कर्मचारियों की पेस्लिप है, हर महीने या हफ्ते में या रोजाना, जिस में लिखा होता है के मजदूर को मोबादला देने में कितनी बातें समाविष्ट है, जैसे मजदुरी की रखम, फायदे, बोनस और दुसरी कटोतियाँ पे स्लिप उस भाषा में तय्यार की जाये जिसको कर्मचारी अच्छी तरह समझता है, साथ ही दूसरे कर्मचारी आसानी से/अच्छी तरह समझते हो।

६.२ पूरी पगार, वक्त पर और एकसाथ दी जाये।

६.३ सब कामों की मजदूरी दी जायें, जिसमें उस देश के कम से कम मजदूरी स्तर और कम्पनी की आर्थिक स्थिती का ख्याल रखा जाए।

६.४ मोबादल देने की कानूनी हालत जो प्रस्थापित है जिसके माध्यम से एक मजदूर/कर्मचारी सौदेबाजी की मुद्रा मे होता है, उनपर अमल किया जाये, हर हाल में।

६.५ वह सारी कानूनी कटोतिया जो कर्मचारी की कमाई में से की जाती हैं, जैसे टॅक्सेस, इन्शुरंस इत्यादि को कर्मचारी के खाते मे टाइम टु टाइम/ वक्तपर जमा किया जाये। जिस मे कानून और मर्यादा का ख्याल रखा जाये।

६.६. जो कटोतियाँ कानून के दायरे के बाहर की है, उन कटोतियों का अधिकार, कंपनी/मालिक को तब तक नहीं, जब तक लिखित रूप से, कर्मचारी अपनी इच्छा से कटोती करना चाहता हो।

७. कर्मचारियों के लिए जरूरी नहीं के वह जरूरत से ज्यादा वक्त काम करें, ओव्हर टाइम काम की इजाजत कोर्ट ने दी है, जिते भी ओव्हर-टाइम काम हैं, वह सब कर्मचारी की इच्चा पर निर्भर है।

७.१ साफ-सुधरी योजनाएँ लागू की गयी है, जो कर्मचारियों की ड्युटी के टाइम-टेबल और ओव्हर टाईम को स्पष्ट रूप से बयान करती है। जिसमे पूर्णतः उसकी मर्यादा और ओव्हर-टाइम का कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर होना बताती है।

७.२ कर्मचारियों को सात दिनों की काम के दौरान 24 घंटे का आराम दिया जाना तय है, अगर किसी माकूल वजह से कर्मचारी छुट्टी के दिन भी काम करना चाहे, जैसे कोई उत्पाद अधूरा रह गया हो या उसकी जरूरत हो तो उसकी बराबर के घंटे छुट्टी के लिए आवश्य कर्मचारी को मिलने चाहिए। जब भी कर्मचारी चाहे।

७.३ अगर कोई सम्मती कर्मचारी और मलिक/कंपनी के बीच बन जाये जिसमें, कर्मचारी अपनी सहमती स्पष्ट कर रहे हो तब भी, अगर वह चाहेंगे काम से छुट्टी लेने अधिकार हमेशा उनके साथ रहेगा।

७.४ ओव्हर टाईम किये गये काम का मोबादल, कम से उतना जरूर मिलेगा तो कानून ने उस के लिए तय किया है।

८. सभी कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त है और रहेगा के वह अपनी Q>´>oS> यूनियन बनाएँ, या किसी युनियन का हिस्सा बनें, जिसके माध्यम से वह अपने अधिकार सक्षम और प्राप्त कर सकें और सौदेबाजी के लायक बने कर्मचारियों का यह अधिकार है के उनकी एक युनियन हो, ऐसी असोसिएशन का अस्तित्व हमें स्विकार है और उसकी प्रशंसा करते है। जिसके माध्यम से वह अपने अधिकार में सक्षमता बढाते हैं. कर्मचारियों को सताया नहीं जाता, उनके सम्मान को दुर्लहित नहीं किया जाता - ना उन्हें डराया, धमकाया जाता है के वो किसी असोरीएशन में शामल हो , क्यों की यूनियन के माध्यम से कर्मचारी अपनी माँगे पूरी करने में सक्षम होते हैं जो कानून के दायरे में उनका अधिकार है।

८.१ मॅनेजर्स, सुपरवायइर्स और गार्डस को Q´>oqZJ दी जाती है के वह हर कर्मचारी का समान रखे और पूरी आजादी प्रदान करे के वह युनियन जुड जाये।

८.२ कर्मचारी अपने अधिकारों को अच्छे से जानते हैं, और उसका इस्तेमाल करने मे हिचकिचले नहीं और कोई मॅनेजर इत्यादि उन्हें अपने अधिकार के इस्तेमाल वंचित रख सकता है।

९. कार्यशाल में, कर्मचारियों के स्वास्थ और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है।

कर्मचारियों को साफ सुधरी जगह और सुरक्षा प्रदान की जाती है जो उन्हे अक्सीडेंट/हादसों और जखमी होने से बचाती है। जो काम जगह से और काम के दौरान या कर्मचारी के कार्य-पद्धती से जुडी होती है।

सप्लायर्स को सुनिश्चित करना होगा के कोई गर्भवती महिला जिस ने अपने गर्भवती होने से कंपनी को अवगत कराया हो, वह गर्भावस्था मे कोई खतरनाक काम करे या खतरे की जगह पर काम करें। गर्भवती कर्मचारी किसी हाल मे आठ 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी। और नाइट-शिफ्ट (10 बजे रात से सुबह 6 बजे) में काम करेगी।

९.१ सप्लायर्स को गर्भवती कर्मचारी का पगार काटने की या कम करने की ना इजाजत है और ना अधिकार, गर्भवती को पूरी पगार मिलेगी।

९.२ सप्लायर्स की जिम्मेदारी है के वह इस तरह की सारी जीचे/बातें दूर करे और दूर रखे जिन से कर्मचारियों को या आस-पास के लोगों को या पर्यावरन को धोका/खतरा हो।

९.३ साफ और बेहतरीन पॉलिसी/नियम प्रयाप्त हैं, जिन से पेशा से जुडी समस्याओं का निदान करती है।स्वास्थ और सुरक्षा बनी रहे, इसका सिस्टम है और उसे अप-डेट किया जाता है। पेशे/ काम से जुडी स्वास्थ और सुरक्षा की पॉलिसीज और सह नियम की चर्चा की जाती है और सबको समझादी जाती है।

९.४ जो कर्मचारी या दूसरे लोग व्यसाय संकुल में भीतर आते है, उन्हे भी बताया जाता है के वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? जिस खतरे से बच जाए उन्हे सुरक्षा सामग्री दी जाती है और अच्छी तरह समझाया जाता है के वह इसको हँसी मजाक के तौर पर ना लें, और सुरक्षित रहें।

९.५ जो लोग व्यवसाय संकुल में प्रवेश करते है या उत्पादन से जुड जाते है उन्हे अच्छी तरह बता दिया जाता है वे उन्हे क्या कदम उठाना चाहिए और कबौर सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब सिखाया जाता है।

९.६ योग्य प्रशिक्षक और योग्य हथियार/अवजार कर्मचारियों को दिये जातें, जिनके इस्तेमाल से वह अपने आप को सुरक्षित रख सकते है। उन्हें मालिक के पैसों से यह हथियार खरीदने लेते है।

९.७ कर्मचारियों को प्रशिक्षन दिया जाता है, जिस से उन्हे सुरक्षित रहने में मदद मिलती है।

९.८ सुरक्षित और स्वास्थ की अवस्था बनी रहे ऐसे हालात पैदा किये जाते है जिंदगी सहाय हालात और पीने का साफ पानी और आवश्यक चीजे, स्वच्छ कमरें, भरपूर हवा, आग लगने की हालत में बाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग और आवश्यक सुरक्षा किट, एमरजेंसी ऐड किट, एमरजंसी स्वास्थ सेवायें, हायजेनिक अयनिग एरिया और कचरे की व्यवस्था प्रदान की जाती है।

१०. कर्मचारियों की पहुँच ऊपर तक आसानी से बगैर झंझट

कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था है के वह पारदर्शक, साफ, स्वच्छ और भरोसे मंद सुविदा का इस्तेमाल करें, यह प्रणाली सब के लिए एक जैसी, भेदभाव रहित वचन बद्ध प्रणाली है। यह प्रणाली इस लिए है के कर्मचारियों के बीच पैदा होने वाली कटुता और गलत-फहमियाँ दूर हो, नैसर्गिक तौर तर साथ मैं रहते हुए और काम करते हुये पैदा होनी है।

१०.१ प्रणाली (1) यह प्रणालि/सुविधा, कर्मचारियों को यह सुविधा देनी है के वह खुलकर अपनी बात रखें अपनी शिकायत पेश करें या कोई मशवरा/ रायदे या नाराजी (असंतुष्टता) व्यक्त करे जिसमें उसे अपने आपको सामने आने की जरूरत ना पडे।

१०.२ जो भी बान हो उसकी निष्पक्ष जाँच हो और उसका नतीजा जल्द आये, भेदभाव रहित और साफ-सुधरा हल निकले। समस्या निदान प्रणाली पूरी तरह से बतायी जाती है और हर शिकायत करने वाले को भरोसा दिलाती है के इसकी शिकायत लीक नही होगी (अगर वह ऐसा चाहे) इसी तरह कोई बदला नहीं ले सकेगा।

११. व्यवसाय इस प्रकार किया जाता है के वह लंबी मुद्दत/समय तक चलता रहे और पर्यावरण पर उसके विपरीत परिणाम ना हो।

कार्यक्रम बाहर से काम करवाना, उत्पादन और उत्पादन का बटवारा और सेवाएँ प्रदान करना, यह सब किया जाता है। जिसमें पर्यावरण पर दुष्परिणाम ना हो इसको सब से

ज्यादा अहमियत दी जाती है, के हर हाल में पर्यावरण सुरक्षित रहे और पर्यावरण से जुडे सभी नियमों का पालन किया जाता है।

११.१ कार्य प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाताहै के पर्यावरण संबंधित सभी नियमों का पालन किया गया है।

११.२ सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है के इस से संबंधित नियमों का पालन करते हुये कार्य करें।

११.३ पार्यवरण सुरक्षा प्रणाली को अमल में लाया जाये जिस कानूनी बिंदुओं पर अमल किया जाये, खतरनाक केमिकल्स जहरीले पदार्थ, बेकार हानिकारक कचरा, और हवा को गदा करनेवाले गैसेस/धुवाँ, पानी और एनर्जीधातक चीजें।

१२. विकास और उन्नती के देख भाल और उसपर अम्मल बजावनी।

सप्लायर्स थाय युनियन ग्रुप और उससे जुडे लोगों और अपने एजंटों को यह काम/जिमम्मेदारी देगा के वह सब लोग ऐसे कामों पर नजर रखें जिस से सुनिश्चित हो के इस कोड ऑफ कन्डक्ट पर अमल हो रहा है, जिस में यह शामिल है अचानक किसी साईट/कार्यशाल को भेट दी और कार्य की जाँच सभी पहलू से की जाए, इसी तरह उत्पादन के डिए आवस्यक सामग्री, इक्वीपमेंट दिये गये है, या, नही, कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है के नहीं सारे दपतर, रजिस्टर चेक किये जायें एम्पलायमेंट से जुडी सारी बातें/ जीते जाँच ली जाये, इसी तरह कर्मचारियों से अकेले में चर्चा की जाये, उत्पादकों की जिम्मेदारी है के वह हमेशा रिकॉर्ड से जुडी - दस्तावेजात से जुडी सारी सहलते तय्यार रखें ताके जरूरत पडने पर उसका प्रदर्शन किया जा सके। यह प्रदर्शन कोड ऑफ कन्डक्ट का एक हिस्सा है।

ब. रिपोर्टिंग ओन उल्लंघनों

जिस से यह सुनिश्चित जाने के यह सब जीजें उप-सप्लायर्स के पास भी है। इसी तरह बाहर से काम करनेवाले भी इन सारी बातों पर अमल करते है ताकि जब उत्पाद बेच दिया जाये। या दिया जाये तो थाय युनियन ग्रुप को कोई फर्क दिखायी नहीं देना चाहिए। यह सप्लायर्स की जिम्मेदारी है के उत्पाद चाहे न हाँ से आये उसका दर्जा और टिकाउपन किसी हाल में कम नहीं होना चाहिए।

१. आगर हमारी इस पॉलिसी में कोई फेल होना है (जिस मे वह ना कामी भी शामिल है जो किसी कर्मचारी की वजह से हुयी चाहे वह कर्मचारी, थाय युनियन ग्रुप का हो। या वह कर्मचारी थाय युनियन ग्रुप के लिए काम करता हो, एक ही कानून सब पर लागू होगा)

जिस के बारे में सप्लायर को जानकारी थी। इस की खबर तुरंत ही थाय युनियन ग्रुप की अथॉरिटी की दी जाएगी। और फिर इस को एक बडी रुकावट के तौर पर लिया जाऐगा, कोड ऑफ कन्डक्ट की बली चढेगी।

२. हम बडी ताकत के साथ यह स्पष्ट कहते है के हम इस बात के पक्ष में हैं, सब लोग खुल कर बोढें, अपना मुहँ खोले। चाहे वह सप्लायर्स हो या अन्य कर्मचारी, निडर होकर कहे इस बात का खतरा नही के कोई तुम से बदल लेगा। चाहे वह बात हकीकत हो तुम्हे शक हो के कोई कार्य थाय युनियन ग्रुप के खिलाफ हो रहा है।

३. थाय युनियन ग्रुप हर शिकायत की जाँच करेगा और अगर वह बात शक के दायरे मे होगी तब भी चर्चा करेगा और जो निष्कर्ष होगा, उसको लेकर सप्लायर्स के साथ डिसकस करेगा। और ऐसे किसी मामले में सप्लायर्स को हमारा सहकार्य करना हो होगा। और इस बारे में किसी नानकरि की जरूरत पडे तो वह सप्लायर हमें देगा।

४. अगर उस समस्या का कोई उपाय मिले/उसकी जरूरत पडे तो सप्लायर्स की जिम्मेदारी होगी के वह थाय युनियन ग्रुप को इसकी जानकारी दे। और योग्य कदम उठायें जिस से निर्धारित समय में उस पर उपाय ढूँड लिया जाए। जिस से उस नाकामी की कामयाबी में बदल जाए।

रूप में निम्नानुसार उल्लंघनों पर रिपोर्टिंग के लिए चैनल हैं

सतत विकास के निदेशक
थाई यनियम ग्रुप
९७९/१२ फहोल्योत्हीं रोड, सम्सेंने,फयाथई, बैंकाक १०४००
थाईलैंड
टेलीफोन: +६६ (०) २- २९८-००२४
फच्सिमिले +६६ (०) २- २९८-०५५४
ईमेल: laborCoC@thaiunion.co.th

परियोजना ISSARA

लेबोर अधिकार, सरकार पंजीकरण, प्रक्रियाओं, पर प्रवासी कामगारों के लिए जानकारी या थाईलैंड में 24 घंटे राष्ट्र व्यापी कार्यकर्ता हॉटलाइन के एक मामले या अनुरोध सहायता की रिपोर्ट करने के लिए:

Myanmar Language : +66-80-456-5560

Lao & Thai Language : +66-86-967-2891

khmer Language : +66-80-968-6085

web : www. projectissara.org

६. सप्लायर्स उनके कर्मचारी और गुल्तेदार/ठेकेदार हकीकत में पायी जा रही शिकायते। अगर सप्लायर्स नने कोड-ऑप कन्डक्ट (कैसे रहे) का पालन नहीं किया या, उस की तलाफी/बदल/उपाय पर अमल नहीं किया तो उसका अंजाम यह होगा के हमारे साथ उनका ठेका/गुत्ता/कॉन्टाक्ट टूट जायेगा और हम कानूनी कार्यवाही करेगे, जिसकी खबर देने की हम जरूरत नहीं समझते।

रिलान किया गया 20 आगस्त 2015

हस्ताक्षर प्राप्त की जायें।

पावती और स्वीकृति

यह इस बात का प्रमाण है के मै ने अच्छी तरह पूर्णतः थाई युनियन ग्रुप के व्यवसाय कानून/वसूलों को पढ़ा और समझा और उसके कोड ऑप कन्डक्ट (कैसे रहें) को भी एक अधिकार प्राप्त व्यक्ती के तौर पर मैं यह वचन बद्ध हूँ के मै खुद भी कोड-ऑफ-कन्डक्ट का पालन करूँगा और मुजे जुडे लोग भी इसका पुर्णतः पालन करेगे/मेरी कंपनी और इसके सारे नियमों की पूरी पाबंदी करूँगा।

सप्लायर :

पता :

नुमाइंदा/ रिप्रेजेंटेटिव्ह

हस्ताक्षर :

तारीख :